राजस्थान सरकार

राजस्व(गुप-6) विभाग

क्रमांकः प. 1(4)राज-6/2001/5 जयपुर दिनांक 23/6/2004

समस्त जिला कलेक्टर

राजस्थान

परिपत्र

विषयः- भारतीय रेल्वे एवं भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को राजकीय भूमि के आवंटन/ कीमत निर्धारण बाबत ।

महोदय

भारतीय रेल्वे को रेल्वे लाईन डालने, स्टेशनों के निर्माण तथा अन्य सुविधाओं के विकास हेतु जो सरकारी भूमि आवंटित की जावेगी उसका मूल्य उस दर से लिया जावेगा जो रेल्वे द्वारा निजी-खातेदारों की भूमि अवाप्त करने पर, उन्हें उक्त भूमि के बदले मुआवजे के रूप में कीमत का भुगतान किया जाता है । अगर निजी भूमि उस क्षेत्र में अवाप्त नही की गयी हो तो राज्य सरकार द्वारा उक्त भूमि हेतु उस क्षेत्र में पंजीयन हेतु निर्धारित डी.एल.सी. की दरों के अनुसार रेल्वे से भूमि का मूल्य लिया जावेगा ।

इसी प्रकार भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को राष्ट्रीय राजमार्गों को चौडा करने व अन्य सुविधाओं के विकास हेतु जो सरकारी भूमि आवंटित की जावेगी । उसका मूल्य भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण से उस दर से लिया जावेगा जिस दर से भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने निजी व्यक्तियों/ निजी खातेदारों को उस क्षेत्र में उक्त प्रयोजनार्थ अवाप्त की गयी भूमि के बदले में दिया है । अगर उस क्षेत्र में निजी भूमि अवाप्त नही की गई हो तो राज्य सरकार द्वारा उस क्षेत्र में पंजीयन के लिए निर्धारित डी.एल.सी. की दरों के अनुसार भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण से भूमि का मूल्य लिया जावेगा ।

उक्त परिपत्र केवल रेल्वे एवं भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकारण को उक्त प्रयोजनार्थ आवंटित की जाने वाली भूमि के मूल्य निर्धारण हेतु प्रभावी रहेगा तथा इस बाबत राजस्व गुप-4 विभाग द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक एफ 4(16)राज-4/85 दिनांक 2-3-87 एवं राजस्व (3) विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ9(38)राज-3/2002 दिनांक 10-3-03 के प्रावधान राजकीय भूमि की कीमत निर्धारण की सीमा तक उक्त प्रतिष्ठानों पर लागू नही होंगे । उक्त परिपत्रों की शेष शर्तें यथावत लागू रहेगी ।

-2-